



- ✓ कार्यवाही किया जाए आवश्यक होगा। जिले निर्देशित समिति द्वारा यदि का. 2021-22 हेतु पौंस का पूर्वाधिकार किया जाता है, तो पौंस की नवीकरण दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (2020) त्रिवार्षिक शिक्षा समितियां एवं उप समितियां, संस्थाओं को संबद्ध शिक्षा सेवा विभाग/का. 2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित सीटों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट मामला/संकेत के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता प्रामाण्य जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 60-100/100/100/100/100/100/100 से अलग-थलग हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविभागीय अभिनिर्देशनात्मक/समादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रशिक्षक शिक्षा (2020), संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश त्रिवार्षिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विधान, विनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगा।
- ✓ विज्ञान इन फार्मों पर आवश्यक संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवंटित सीटों के लिए आयोगित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रवेश होने के पूर्व 60/100/100/100 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/आयोग को उल्लेख करना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वित) के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर भी प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्दिष्ट नवीकरण आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने विचार/दृष्ट पर संस्था को संस्था सुचनाओं जैसे पौंस की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार्वजनिक, शासक, प्राप्त किया जाने आश सुझ, उत्प्रेषण शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को निम्नलिखित हेतु उपरोक्त आवश्यक उपलब्ध करने के साथ शेषी प्रदान के संस्थ में सार्वजनिक/संस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में आवंटित संचालित/संस्थाओं को प्रदान करने हेतु निर्देशित समिति के समस्त उल्लेख कराने एवं अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था/संस्था के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था/संस्था को संबद्धता समाप्त करने करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, फर्नीचर/संस्था, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक (60-100/100/100/100/100/100/100/100/100/100) के सार्वजनिक उल्लेख नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को संबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने आता शर्तों का उल्लेख किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/संस्था कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

संस्कृत

UNIVERSITY OF POLYTECHNIC VILLAGE HINDUWAR, SONBHADRA-201218



(सुमित कुमार सोनभद्रा)

संज्ञित







